

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार RAS .

राजस्व मूल वाद संख्या:- 45/2022

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
01. भवसिंह पुत्र देवीसिंह जी जाति राजपुत उम्र 54 वर्ष निवासी बोरानाडा तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01. जीवाराम पुत्र जरूपराम जाति पटेल 02. चुकडी देवी पत्नि जरूपराम जाति पटेल 03. तुलछाराम पुत्र बरीगराम जाति पटेल 04. कमलादेवी पुत्री सावताराम जाति पटेल 05. गोपी देवी पुत्री सावताराम जाति पटेल 06. वजी देवी पुत्री सावताराम जाति पटेल निवासी गण डोली तहसील लूणी जिला जोधपुर
		07. राजस्थान राज्य जारिये तहसीलदार लूणी

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान कारतकारी अधिनियम

उपस्थिति -

- वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापति उपस्थित
- प्रतिवादीगण की ओर से तमिल बावजूद अनुपस्थित।

आदेश

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान कारतकारी अधिनियम व प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.07.2022 को किया गया एव तहसीलदार इंवर को बटवाड प्रस्ताव हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया तहसीलदार इंवर के माफिक प्राथमिक डिक्री पक्षकारान् के मध्य यमानुसार अपनी रिपोर्ट मय बटवाडा प्रस्ताव दिनांक 26.08.2022 को पेश किया। वादी व प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नम्बर 403 कुल रकबा 1.0926 हैक्टर ग्राम बुडावड तहसील इंवर वादीगण एव प्रतिवादीगण का नाम सयुक्त खातेदारी मे दर्ज है तहसीलदार इर द्वारा प्रेषित बटवाडा प्रस्ताव दिनांक 26.08.2022 मय मौका फर्द दिनांक 25.08.2022 पेश की गई जिसके आधार पर वादीगण एव प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव पेश या जो सलगन पत्रावली है इसके अनुसार। राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्सानुसार प्रस्तावित वाडा प्रस्ताव निम्ननुसार।

म ए:-

कमला पुत्री सावताराम का हिस्सा 1/12
कमोदर पत्नि वरीगराम का हिस्सा 5/18
गोपी पुत्री सावताराम का हिस्सा 1/12
चुकडी देवी पत्नि जरूपराम का हिस्सा 5/36
जीवाराम पुत्र जरूपराम का हिस्सा 5/36

लछाराम पुत्र वरीगराम का हिस्सा 5/18 जाति पटेल सा देह खातेदार
खसरा नम्बर रकबा किस्म लगान
403 0.4370 बारानी प्रथम 1.02



सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

क.स.बी.-
01.भवरसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत सा,बोरानाडा खातेदार का हिस्सा 1530 / 1620
किस्म 90 / 1620 लगान
02.वजी पुत्री सावराम जाति पटेल सा देह,खातेदार का हिस्सा 1.55
रकबा 0.6556 बारानी प्रथम
खसरा नम्बर 403

उक्त बटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा। एव वादी व प्रतिवादीगण का बटवाडा प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री तैयार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बटवाड प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार को आदेश दिया जाता है कि बटवाडा प्रस्ताव दिनांक 26.08.2022 के अनुसार विभाजन कर वादी एव प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अलग से बटा नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शे में तस्मीम इन्द्राज करे। बटवाडा प्रस्ताव एव मौका फर्द दिनांक 25.08.2022 डिक्री का अभिन्न अग समझा जावे डिक्री पचासी हो तहसीलदार झकर को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हों पत्रावली फैसल अनुसार होकर दफ्तर दाखिल हो।



(गोपाल परिहार) RAS

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

डिकरी बमुकदमें इब्दादाई

(आर्टर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 45/2022

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
भवरासिंह पुत्र देवीसिंह जी जाति गपुत उम्र 54 वर्ष निवासी गनाडा तहसील लूणी जिला धपुर।		01.जीवाराम पुत्र जरूपराम जाति पटेल 02.चुकडी देवी पत्नि जरूपराम जाति पटेल 03.तुलछाराम पुत्र बरीगराम जाति पटेल 04.कमलादेवी पुत्री सावताराम जाति पटेल 05.गोगी देवी पुत्री सावताराम जाति पटेल 06.वजी देवी पुत्री सावताराम जाति पटेल निवासी गण डोली तहसील लूणी जिला जोधपुर 07.राजस्थान राज्य जासिये तहसीलदार लूणी

दावा अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 45/2022 यह
ज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू-ब-रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुददई व
तेवादीगण मिनजानिब मुद्रायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतःआदेश है कि वादी का वाद बटवाडा प्रस्ताव की मौका फर्द दिनांक 25.08.2022 अनुसार
रीकार किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से अलग अलग दर्ज किये जाकर राजस्व रेकांर्ड
इन्दज किये जाने हेतु तहसीलदार अवर को आदेश दिया जाता है।

दिन.....मुबलिक.....वाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व
गर्ह.....फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयकी तक.....
.....को अदा करें।

रीबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 12/12/2022 को जारी की गई।



दादाई	रुपयाम	रुपयाम	रुपयाम	रुपयाम	रुपयाम
दायम अरजी दावा	स्वाम्य	अरजी	दावा	रुपयाम	रुपयाम
कालतनामा		रुपयाम			
दायम वजह सबूत		वकालतनामा			
हिनताना वकील		स्टाम्य वजह सबूत			
डर्वा गवाहान		महनताना वकील			
रीस कमिश्नर		खर्चा गवाहान			
बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफारिक		फीस कमिश्नर			
मीजान		बाबत इजराय			
		मुतफारिक			
		हुक्मनामा			
		मीजान			

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी